न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./22/2023

1–हरी पुत्र बुद्धी
2– करतार पुत्र बुद्धी
3– बीरवल पुत्र बुद्धी
4– रामवीर पुत्र करनसिंह
5– विमलेश पुत्री बुद्धी
6– हरदेई पुत्री बुद्धी

जातियान जाट निवासी ग्रांम बेरी तहसील वैर जिला भरतपुर

..........प्रार्थी0

बनाम

1–ललित मीणा उपखण्ड अधिकारी वैर जिला भरतपुर
2– बदना पत्नि हितेन्द्र कुमार
3– हितेन्द्र कुमार पुत्र कजोडी लाल

जाति वैश्य निवासी ग्रांम मण्डावर तहसील महुआ जिला दौसा

..........अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी वैर व मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम संख्या 11/2023 उनवानी बंदना बनाम सरकार

उपस्थितः–
1–श्री विजयसिंह कुन्तल, अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री प्रमोद उपमन अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय **दिनांक 25.01.2024**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ उपखण्ड अधिकारी वैर इस आशय का पेश किया गया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के यहॉ एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट विचाराधीन है। गैर सायल संख्या 1 व2 जिस जगह के निवासी है उसी गांव के पडौस से ही उपखण्ड अधिकारी वैर श्री ललित मीणा निवासी है और दोनों का आपस में आना जाना मिलना जुलना अच्छी प्रकार से है। इसलिये प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। दिनांक 12.6.2023 को पेशी को सायलान के द्वारा पटवारी हल्का द्वारा पेश की गयी मौका रिपोर्ट पर ऐतराज पेश किये गये तो उस दिन कार्य स्थगित वकीलों द्वारा किये जाने के कारण प्रार्थी

...........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रा.पत्र मुन्त. / 22 / 2023
हरी वगै0 बनाम ललित मीणा वगै0

उन्हें लौटाते हुये स्पष्ट रुप से कहा कि इन एतराजों में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण एस.डी.ओ. वैर से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना किसी अन्य न्यायालय में प्रकरण भेज दिया जावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। एस.डी.ओ. वैर से टिप्पणी तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये तर्क दिया कि अप्रार्थी. एवं श्रीमान एस.डी.ओ. साहब एक ही गांव के पास पास के हैं। प्रार्थीगण को एस.डी.ओ. साहब से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को देरीना करने के लिये पेश किया गया है। अप्रार्थीगण ने झूंठा आरोप लगाया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। एस.डी.ओ. वैर से प्राप्त टिप्पणी पर गौर किया गया। प्रार्थीगण की शंका को मध्य नजर रखते हुये एस.डी.ओ. वैर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अंतर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम संख्या 11 / 2023 उनवानी बंदना बनाम सरकार को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। एस. डी.ओ. वैर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अंतर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम संख्या 11 / 2023 उनवानी बंदना बनाम सरकार को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भरतपुर एवं उपखण्ड अधिकारी वैर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25–01–2024 को सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर